

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1504 / 2011

संस्थापित दिनांक 30 / 12 / 2011

फाइलिंग नं. 230303003772011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. बंटू उर्फ रघुनाथ सिंह पुत्र श्री रामवरन सिंह श्रीवास उम्र 26 वर्ष
निवासी— वार्ड क0 16 गोहदी, गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279 एवं 338 भा0द0स0 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं 3 / 181।)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री रामवीर बघेल)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 30.05.2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 25.04.2011 को दिन के करीबन 12:00 बजे शर्मा होटल के पास चौराहा रोड़ पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 को बिना बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर फरियादी राहुल को चोट पहुंचाकर उसे गम्भीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं 03 / 181 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी राहुल एल0पी0एफ0 पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड इन्दौर में असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के पद पर कार्यरत होकर ग्वालियर रीजन में कार्य करता था। दिनांक 25.04.2011 को वह कंपनी के कार्य से गोहद आया था। कार्य पूर्ण होने के उपरांत करीबन दिन के 12 बजे वह अपनी मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 46 / बी0 7879 से वापिस ग्वालियर जा रहा था, जैसे ही वह कमलेश शर्मा के होटल के पास पहुंचा था तो सामने गोहद चौराहा तरफ से एक मोटरसाईकिल का चालक मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी तो वह गिर पड़ा था, गिरने से उसके दाहिने हाथ एवं दाहिने पैर में चोट आई थी। मौके पर शर्मा होटल वाले कमलेश, अशोक हरिओम इत्यादि आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। कमलेश शर्मा ने उसे बताया था कि मोटरसाईकिल को आरोपी बंटू चला रहा था। कमलेश एवं हरिओम उसे उठाकर अस्पताल गोहद ले गये थे जहां डॉ0 धीरज गुप्ता ने उसे ग्वालियर रैफर कर दिया था। तथा ग्वालियर के बार उसने अपना इलाज इन्दौर अस्पताल में कराया था। घटना के वक्त मोटरसाईकिल चालक बंटू मोटरसाईकिल लेकर भाग गया था, ठीक होने के पश्चात् उसने पुलिस थाना गोहद में घटना की रिपोर्ट की थी। फरियादी की

रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र0 157/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में रजिशन झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.04.2011 को दिन के करीबन 12 बजे शर्मा होटल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए फरियादी राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर राहुल को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी के पास घटना समय व स्थान पर मोटरसाईकि क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 को चलाने का बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से कमलेश शर्मा अ0सा0 1, फरियादी राहुल करील अ0सा0 2, अशोक अ0सा0 3, ए0एस0आई0 लक्ष्मण किशोर गुबरेले अ0सा0 3, ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 5, सेवानिवृत्त आरक्षक चालक रामकरन शर्मा अ0सा0 6 एवं डॉ0 आशीष जैन को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी बंटू को जानता है। घटना दिनांक 25.04.2011 के दिन के 12 बजे की है, वह गोहद से अपनी बाईक से बापिस ग्वालियर जा रहा था। शर्मा होटल के पास आरोपी बंटू अपनी बाईक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उसके दाहिनी पैर एवं हाथ में चोट आई थी। उसके दाहिने पैर एवं हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल का नम्बर एम0पी0 30 बी0ए0 7253 है। टक्कर लगने से वह मोटरसाईकिल से गिर गया था और वहां पर ढाबे के मालिक कमलेश शर्मा, हरिओम शर्मा तथा अशोक ने उसे उठाया था और उसे गोहद अस्पताल लेकर गये थे, गोहद अस्पताल से उसे ग्वालियर अस्पताल रैफर कर दिया गया था। ग्वालियर से इन्दौर रैफर किया गया था, उसने इन्दौर में अपना इलाज कराया था। जब वह थोड़ा ठीक हुआ था तब उसने गोहद थाने आकर दिनांक 19.07.2011 को रिपोर्ट लिखाई थी, उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आवेदन प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया गया है कि जब आरोपी ने उसे टक्कर मारी थी तभी कमलेश शर्मा के द्वारा उसे आरोपी के नाम का पता चला था, पद क्र0 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका गोहद अस्पताल में रिपोर्ट करने के पहले ही इलाज हुआ था, उसने पुलिस को खबर दी थी परन्तु पुलिस नहीं आई थी, उसने अस्पताल में एक घंटे इंतजार किया था परन्तु पुलिस नहीं आई थी, वह घायल अवस्था में था इसीलिए इलाज शुरू हो गया था उसने डॉक्टर साहब को भी पुलिस को बुलाने के लिए कहा था उसने डॉक्टर साहब को बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका इलाज डॉक्टर धीरज गुप्ता ने किया था। पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे गोहद से ग्वालियर कमलेश शर्मा, अशोक शर्मा, हरिओम शर्मा ले गये थे। डॉ0 धीरज गुप्ता भी उसके साथ गये थे। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके चाचा दिनांक 26.04.2011 को गोहद थाने गये थे। प्र0पी0 1 का आवेदन उसने गोहद थाने पर ही लिखा था। पद क्र0 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह साढ़े पांच महीने में चलने योग्य स्थिति में आ पाया था। उसकी इन्दौर अस्पताल से छुट्टी 19.05.2011 को हो गई थी।

10. साक्षी कमलेश शर्मा अ0सा0 1 द्वारा भी फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को आरोपी बंटू द्वारा मोटरसाईकिल से राहुल के टक्कर मार देने बावत् प्रकटीकरण किया है।

11. साक्षी अशोक अ0सा0 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ऋणोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि उसके सामने आरोपी बंटू ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी।

12. डॉ0 अशीष जैन अ0सा0 7 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 27.04.2011 को इन्दौर क्लॉथ मार्केट अस्पताल इन्दौर में आहत राहुल का परीक्षण किया गया था, राहुल की दायी जांघ की फीमर हड्डी एवं दाहिनी कलाई की रेडिएस हड्डी में अस्थिभंग हुआ था एवं उसने दिनांक 05.05.2011 को राहुल का ऑपरेशन किया था तथा मरीज को दिनांक 19.05.2011 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उसके द्वारा तैयार किया गया डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आहत को पुलिस द्वारा या किसी शासकीय अस्पताल द्वारा उसके क्लीनिक पर नहीं भेजा गया था। पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 पर आहत के दो दिन पहले गिरने से चोट आना लिखा हुआ है।

13. ए0एस0आई0 लक्ष्मण किशोर गुबरेले अ0सा0 4 ने प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। रामकरन शर्मा अ0सा0 6 ने प्र0पी0 7 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 25.04.2011 को दिन के 12 बजे वह गोहद से अपनी बाईक से बापिस ग्वालियर जा रहा था तो शर्मा होटल के पास आरोपी बंटू ने अपनी बाईक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उसके दाहिने पैर एवं हाथ में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर कमलेश, हरिओम एवं अशोक उसे उठाकर गोहद अस्पताल ले गये थे, गोहद से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया था एवं ग्वालियर से उसे इन्दौर रैफर कर दिया गया था एवं ठीक होने पर उसने दिनांक 19.7.2011 को रिपोर्ट लिखाई थी।

16. इस प्रकार फरियादी राहुल अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि एकसीडेंट के बाद कमलेश शर्मा, हरिओम एवं अशोक उसे उठाकर गोहद अस्पताल ले गये थे तथा गोहद अस्पताल में डॉ0 धीरज गुप्ता ने उसका इलाज किया था परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे गोहद अस्पताल से ग्वालियर रैफर कर दिया गया था परन्तु उक्त संबंध में भी कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। फरियादी राहुल अ0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि ग्वालियर अस्पताल में उसका इलाज हुआ था एवं ग्वालियर अस्पताल से उसे इन्दौर रैफर कर दिया गया था परन्तु उक्त संबंध में भी कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि फरियादी राहुल को ग्वालियर से इन्दौर रैफर किया गया था। डॉ0 आशीष जैन अ0सा0 7 जिसके द्वारा इन्दौर में फरियादी राहुल करील का इलाज किया गया था एवं जिसके द्वारा प्र0पी0 8 की डिस्चार्ज टिकिट को प्रमाणित किया गया है, में भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि डिस्चार्ज टिकिट में आहत राहुल करील को आई चोटे दो दिन पहले गिरने से आना लेख है। इस प्रकार डिस्चार्ज टिकिट अ0सा0 8 से यही प्रकट होता है कि आहत राहुल करील द्वारा जिन चोटों का इलाज इन्दौर क्लॉथ मार्केट अस्पताल में कराया गया था वह चोटे आहत राहुल करील को बाहन दुर्घटना में कारित नहीं हुई थी बल्कि गिरने से कारित हुई थी।

17. अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी राहुल करील का दिनांक 25.04.2011 को गोहद में एकसीडेंट हुआ था परन्तु उक्त दिनांक को कोई रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने पर नहीं लिखाई गई थी। फरियादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि गोहद अस्पताल में डॉ0 धीरज गुप्ता द्वारा उसका प्रारम्भिक इलाज किया गया था परन्तु न तो उक्त इलाज के पर्चे अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं और न ही उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा डॉ0 धीरज गुप्ता को प्रकरण में परीक्षित कराया गया है। फरियादी राहुल करील का यह भी कहना है कि उसे गोहद अस्पताल से ग्वालियर तथा ग्वालियर से इन्दौर रैफर कर दिया गया था परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 में आहत राहुल को आई चोटे गिरने से आना लेख है अतः डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 से यह प्रकट नहीं होता है कि फरियादी द्वारा दिनांक 25.04.2011 को एकसीडेंट में आई चोटों का इलाज इन्दौर अस्पताल में कराया गया था। चूंकि डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 में आहत को आई चोटे गिरने से आना लेख है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही प्रमाणित नहीं होता है कि फरियादी द्वारा जिन चोटों का इलाज इन्दौर में कराया गया था वह चोटे फरियादी राहुल करील को एकसीडेंट में कारित हुई थी।

18. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक 25.04.2011 की है एवं फरियादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 दिनांक 19.07.2011 को लेखबद्ध कराई गई है। उक्त संबंध में फरियादी राहुल अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है ठीक होने के पश्चात् उसने दिनांक 19.07.2011 को गोहद थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि एकसीडेंट होने के बाद दिनांक 26.04.2011 को उसके अंकल विश्वेश्वर करील थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये थे तो पुलिस वालों ने कह दिया था कि फरियादी को ही रिपोर्ट लिखाने आना पड़ेगा जबकि ए0एस0आई0 लक्ष्मणकिशोर गुबरेले जिसके अनुसार प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है, ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 26.04.2011 को फरियादी राहुल के अंकल विश्वेश्वर करील गोहद थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं आये थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 का कथन लक्ष्मणकिशोर गुबरेले अ0सा0 4 के कथनों से विरोधाभासी रहे हैं, उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक 25.04.2011 की है एवं फरियादी द्वारा प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.07.2011 को लेखबद्ध कराई गई है। फरियादी द्वारा यह भी बताया गया है कि एकसीडेंट होने के बाद वह इलाज के लिए गोहद अस्पताल गया था तथा गोहद अस्पताल में डॉ0 धीरज

गुप्ता ने उसका इलाज किया था यदि वास्तव में वह एक्सीडेंट होने के बाद इलाज के लिए गोहद अस्पताल जाता तो गोहद अस्पताल द्वारा उक्त संबंध में पुलिस थाना गोहद को जानकारी अवश्य दी जाती। फरियादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने घटना वाले दिन ही पुलिस थाना गोहद को जानकारी दी थी एवं वह एक घंटे पुलिस का इंतजार करता रहा था परन्तु पुलिस गोहद अस्पताल में नहीं आई थी परन्तु फरियादी का उक्त कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है। यह अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर पुलिस गोहद अस्पताल न पहुंची हो इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वास्तव में फरियादी का एक्सीडेंट के बाद प्रारम्भिक उपचार गोहद अस्पताल में हुआ होता तो उक्त संबंध में चिकित्सक द्वारा गोहद थाने को सूचना भेजी जाती परन्तु गोहद अस्पताल की ऐसी कोई तहरीर भी अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने ठीक होने के पश्चात् दिनांक 19.07.2011 को पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट की थी परन्तु डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0 8 के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी को दिनांक 19.05.2011 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था परन्तु फरियादी द्वारा डिस्चार्ज होने के पश्चात् अत्यंत विलम्ब से दिनांक 19.07.2011 को एक्सीडेंट होने के लगभग तीन माह बाद घटना की रिपोर्ट की गई है एवं फरियादी द्वारा विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी उचित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राहुल करील अ0सा0 2 ने अपने कथन में घटना दिनांक को आरोपी बंटू द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार देना बताया है। कमलेश अ0सा0 1 ने भी आरोपी बंटू द्वारा मोटरसाईकिल में टक्कर मारना बताया है परन्तु यह बात साक्षी अशोक अ0सा0 3 द्वारा नहीं बताई गई है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी राहुल अ0सा0 2 एवं कमलेश अ0सा0 1 के कथन अशोक अ0सा0 3 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

21. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राहुल द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से थाने पर की गई है एवं विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी उचित नहीं है। फरियादी द्वारा यह बताया गया है कि उसका एक्सीडेंट दिनांक 25.04.2011 को हुआ था जिससे उसके दाहिने पैर एवं हाथ में चोट आई थी परन्तु दिनांक 25.04.2011 की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्र0पी0 8 के डिस्चार्ज टिकिट में फरियादी को आई चोट गिरने से आना वर्णित है। ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक 25.04.2011 को फरियादी राहुल का गोहद में एक्सीडेंट हुआ था एवं उसे एक्सीडेंट में अस्थिरांग कारित हुआ था।

22. जहां तक आरोपी द्वारा घटना दिनांक को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 5 द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसने दिनांक 09.12.2011 को आरोपी से मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 मय रजिस्ट्रेशन एवं बीमा सहित जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 6 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने आरोपी से मोटरसाईकिल का बीमा जप्त किया था तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी0 6 में भी आरोपी से जप्तशुदा मोटरसाईकिल का बीमा जप्त किये जाने का उल्लेख है, इससे यही प्रकट होता है कि जप्तशुदा मोटरसाईकिल बीमित थी। जहां तक आरोपी के पास ड्राइविंग लाईसेंस होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम यह अभियोजन को साबित करना था कि आरोपी के पास घटना दिनांक को मोटरसाईकिल चलाने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 5 जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया है, ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी के पास मोटरसाईकिल चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के पास घटना दिनांक को मोटरसाईकिल चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी।

23. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.2011 को दिन के करीबन 12:00 बजे शर्मा होटल के पास चौराहा रोड़ पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 को बिना बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर फरियादी राहुल को चोट पहुंचाकर उसे गम्भीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी बंटू उर्फ रघुनाथ सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0दं0सं0 की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 03/181 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7253 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 30.05.18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)